



1644b

CON

SECTION

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,  
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, बेनीपुर।

Mobile No : 9470001333, E-mail : eercdbnpr@gmail.com



॥ दर आमंत्रण सूचना ॥

पथ प्रमण्डल बेनीपुर, (दरभंगा) के कार्यक्षेत्र के अधीन योजना मद अंतर्गत निम्नांकित आर० सी० सी० उच्च स्तरीय पुल का विस्तृत प्राक्कलन प्रतिवेदन (DPR) निदेशानुसार तैयार करना है।

1. पाली-गनौन-आसी-बगरहट्टा पथ के 3rd कि०मी० में आर० सी० सी० उच्च स्तरीय पुल (2X12M) निर्माण कार्य।
2. पाली-गनौन-आसी-बगरहट्टा पथ के 8th कि०मी० में आर० सी० सी० उच्च स्तरीय पुल (3X12M) निर्माण कार्य।
3. कलाली चौक बलहा चौक चौक से मसानकोण पथ के 10th कि०मी० में आर० सी० सी० उच्च स्तरीय पुल (4X12M) निर्माण कार्य।

उपरोक्त कार्य के लिए सरकारी विभाग पथ निर्माण विभाग/अन्य सरकारी विभाग में पंजीकृत सर्वे एजेन्सी से बंद लिफाफे में निम्नलिखित शर्तों के साथ दर आमंत्रित किया जाता है। दर आमंत्रण बंद लिफाफे में पथ प्रमण्डल, बेनीपुर कार्यालय में दिनांक 08.12.2018 को समय 3:00 बजे अपराहण तक प्राप्त की जाएगी।

शर्तें

1. RCC HL Bridge के सर्वे एवं DPR तैयार करने का दर सम्मिलित रूप से प्रति मी० होना चाहिए।
2. सर्वे/DPR पथ निर्माण विभाग/IRC/MORTH के विशिष्टियों के अनुरूप एवं Road Safety Parameters को समाहित करते हुए कंप्यूटरीकृत तैयार करना होगा।
3. DPR के साथ मिट्टी नमूना संग्रह, जॉचफल, जलीय आकड़ों के संग्रह IRC Code पर आधारित निरूपण, रेखाकन एवं अन्य ब्यौरा देना आवश्यक है।
4. DPR तैयार करने हेतु कार्य अवधि 30(तीस) दिनों की होगी।
5. DPR में जमीन अधिग्रहण से सम्बन्धित Report (Land Acquisition Plan, अधियाचना, Rehabilitation आदि) तैयार करना सम्मिलित रहेगा।
6. सर्वे/DPR तैयार करने वाले एजेन्सी का पथ निर्माण विभाग अथवा अन्य सरकारी विभागों में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।
7. एजेन्सी द्वारा पिछले न्यूनतम एक वर्ष का सर्वे/DPR तैयार करने का अनुभव विवरणी जो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत हो, प्रस्तुत करना होगा।
8. एजेन्सी को सर्वे/DPR का Spiral binding करा कर पाँच प्रति में एवं Soft Copy (C.D) सहित उपलब्ध कराना होगा।
9. दर दाताओं में न्यूनतम दर अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, दरभंगा से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात उन्हें शीघ्र सर्वे/DPR तैयार कराने का निदेश दिया जाएगा।
10. सर्वे/DPR तैयार कराने का भुगतान आवंटन प्राप्त होने पर किया जाएगा।

NIC

11. अगर न्यूनतम दर दाता को कार्यादेश देने के पश्चात स-समय कार्य नहीं करते हैं तो दूसरे न्यूनतम दर दाता को/अथवा अन्य एजेन्सी को स्वीकृत दर पर कार्यादेश निर्गत किया जा सकता है।
12. किसी समय दर/कार्यादेश रद्द करने का अधिकार कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बेनीपुर को सुरक्षित रहेगा।
13. DPR तैयार करने हेतु विस्तृत जानकारी के लिये अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

कार्यपालक अभियंता,  
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, बेनीपुर।

ज्ञापांक...../बेनीपुर दिनांक.....

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मधुबनी/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, समस्तीपुर/सहायक अभियंता, अवर प्रमंडल, बेनीपुर संख्या 1/2/बिरौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता,  
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, बेनीपुर।

ज्ञापांक...१५२.../बेनीपुर दिनांक...२४-११-२०१८

प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी, दरभंगा/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, दरभंगा/मुख्य अभियंता, (या0) उत्तर बिहार, उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,  
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, बेनीपुर।

pkchy  
28-11-18